इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपद्य

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022—आषाढ़ 29, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. CT-3-0001-2022-Sec-1-पांच-(CT)(41).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी.

लोकेश कुमार जाटव, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. CT-3-0001-2022-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-3-0001-2022-Sec-1-पांच-(CT) (41), दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2022

No. CT-3-0001-2022-Sec-1-V-(CT) (41).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby, exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of July 2022.

LOKESH KUMAR JATAV, Commissioner of State Tax.